फर्द अहकाम

(नियम 15)

अदालत	जिला कलक्टर	मुकाम	धौलपुर

रामचरन लाल शर्मा बनाम सरकार

किस्म मुकदमाः— प्रथम अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 मुकदमा नम्बरः— 41 सन् 2018
आरसीएमएस नंम्बरः— 2018/0010

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
19.06.18	*यह प्रथम अपील, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत अपीलान्ट श्री रामचरनलाल शर्मा नगर परिषद् रोड धौलपुर ने पेश की। अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपील का अवलोकन किया गया। अपीलान्ट द्वारा यह अपील तहसीलदार धौलपुर के विरूद्ध पेश की है। जिला कलक्टर धौलपुर के आदेश क्रमांक प.1/राज0सम्पर्क/आरटीआई /2018/3377 दिनांक 15.05.2018 से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 5(1), 5(2) व 19(1) के तहत तहसीलदार धौलपुर के विरूद्ध अपील सुनने हेतु उपखण्ड अधिकारी धौलपुर को सक्षम अपील अधिकारी नियुक्त किया गया है। अतः अपीलान्ट की अपील सक्षम अपील अधिकारी को स्थानान्तरित की जाती है। मूल अपील सक्षम अपील अधिकारी को भिजवाई जावें तथा अपीलान्ट को सूचित किया जावें।* *चूंकि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रथम अपील निःशुल्क है। अतः अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ संलग्न राशि 10 रूपये का पोस्टल ऑर्डर अपीलान्ट को वापिस भिजवाया जावें। अपील में इस न्यायालय से अन्य कोई कार्यवाही अपेक्षित नही है। अपील को इसी स्तर पर निस्तारित किया जाना उचित समझते है। अतः अपील अपीलान्ट इसी स्तर पर निस्तारित की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार हो। बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो, नम्बर से कम की जावे।* जिला कलक्टर धौलपुर	576-577 20/6/18